ए.

पी. पोन्नुसामी बनाम

तमिलनाडु राज्य (2022 की आपराधिक अपील संख्या 1926) 07 नवंबर, 2022

बी.

[उदय उमेश ललित सी**.** मुख्य न्यायाधीश एस**.** रवींद्र भाट और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.120 बी, 109,341,302 और 34-आपराधिक व्यवहार के मसौदा नियम, 2020-दस्तावेजों की मांग करने का अभियुक्त का अधिकार-अपीलार्थी को अन्य आठ अभियुक्तों के सहपठित सत्र न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 120 बी, 109,341,302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी-उनमें से कुछ को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी और कुछ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी-सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड की पुष्टि के लिए अपने फैसले को उच्च न्यायालय को भेजा था-पक्षों द्वारा कई बार स्थगन की मांग की गई थी-उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान, अपीलार्थी ने निरीक्षक को एक पत्र संबोधित किया, जिसमें उसे कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया, जो सर्वोच्च न्यायालय के आलोक में उनके मामले के निष्पक्ष निर्णय के लिए आवश्यक थे।

सी.

डी.

अदालत का निर्णय मनोज और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य-में

ई.

इस बीच, अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया-आयोजितः(प्रति बेला एम. त्रिवेदी, जे.) सत्र न्यायालयों द्वारा उच्च न्यायालय को संदर्भित मृत्यु संदर्भ मामलों को अत्यधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उच्च न्यायालय द्वारा जितनी जल्दी हो सके और अधिमानतः छह महीने के भीतर उनकी सुनवाई और समापन किया जाना चाहिए-'आपराधिक व्यवहार के मसौदा नियम 2020' का मसौदा उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों और भारत संघ को दिया गया था-हालाँकि, न तो उच्च न्यायालयों और न ही राज्य सरकारों ने उक्त निर्देशों के अनुसार कोई कदम उठाया है-इसके परिणामस्वरूप, उक्त मसौदा नियमों को न तो संबंधित उच्च न्यायालयों/राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया है और न ही लागू किया गया है-जब तक कि उन्हें अपनाया नहीं गया है, उन्हें किसी भी पक्ष द्वारा आपराधिक कार्यवाही के लिए सेवा में नहीं लगाया जा सकता था-अपीलकर्ता की ओर से किया गया प्रयास

एफ.

जी.

एच.

265

266

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 15 एस सी आर।

S.Ravindra भट जे. (उदय उमेश ललित, मुख्य न्यायाधीश और स्वयं के लिए):द.

इसलिए बनाए गए मसौदा नियम, राज्यों में नियमों में एकरूपता की कमी के कारण होने वाली विषमताओं को दूर करने के लिए किए गए एक व्यापक परामर्श अभ्यास का एक उत्पाद थे, जो साक्ष्य की सराहना में बाधा डाल सकते हैं, और बदले में कार्यवाही में देरी कर सकते हैं, विशेष रूप से अपीलीय स्तर पर-कुछ उच्च न्यायालय या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफल रही हैं और मसौदा नियमों को अपनाने या संबंधित पुलिस/अभ्यास नियमावली में संशोधन करने में देरी कर रही हैं, बयानों की सूची प्राप्त करने के लिए एक आरोपी के अधिकार को पूर्वाग्रहित नहीं कर सकती हैं-यह कहना कि मनोज में निर्णय, और दस्तावेजों, सामग्री, आदि की सूची प्राप्त करने का आरोपी का अधिकार मसौदा नियमों को अपनाने के बाद ही लागू होगा, जिससे एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी।

बी.

सी.

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

डी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** प्रति बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.:**वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा इस तरह का आश्वासन दिए जाने के बावजूद**-**उच्च न्यायालय में अन्य अपीलार्थियों की ओर से पेश होने वाले अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित**-**संदर्भ मामले और अपीलों की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने के लिए**,** अपीलार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष **17.10.2022** पर निर्धारित सुनवाई में बाधा डालने के लिए इस न्यायालय में पहुंचे। पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं द्वारा अपनाई गई इस तरह की विलंबकारी रणनीति और इस तरह वर्तमान जैसे मामलों में न्याय के मार्ग को भटकाना**,** जहां कुछ अपीलार्थी**-**अभियुक्तों को मृत्युदंड और आजीवन कारावास की कुछ सजा का सामना करना पड़ रहा है**,** की दृढ़ता से

निंदा की जाती है।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सत्र न्यायालयों द्वारा उच्च न्यायालय को भेजे गए मृत्यु संदर्भ मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उच्च न्यायालय द्वारा यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः छह महीने के भीतर सुनवाई और पूरा किया जाना चाहिए।तथापि, आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रेरित होकर, जो हमारे समक्ष अप्रतिरोध्य बनी हुई हैं, यह केवल अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित वकीलों की ओर से असहयोग के कारण था, उच्च न्यायालय संदर्भ मामले की सुनवाई करने में सक्षम नहीं था।न्यायालय को वरिष्ठ अधिवक्ताओं को ए के लिए न्यायालयों की सहायता करने के अपने कर्तव्यों के बारे में याद नहीं दिलाना पड़ सकता है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

267

पी. पोन्नुसामी बनाम तमिलनाडु राज्य ए

न्याय का कारण, और विलंबकारी रणनीति में शामिल होने और न्याय के कारण में बाधा डालने के लिए नहीं।**[**पैरा **6] [274-**ए**-**ई**]**

2. यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि इस न्यायालय ने स्वतः संज्ञान की कार्यवाही में सभी उच्च न्यायालयों को आपराधिक मुकदमों को नियंत्रित करने वाले नियमों के हिस्से के रूप में उक्त मसौदा नियमों को शामिल करने के लिए त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मौजूदा नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों और प्रथाओं को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए और घोषित किया जाए, जहां भी आवश्यक हो, उक्त आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से।न्यायालय ने राज्य सरकारों के साथ-साथ भारत संघ को पुलिस और अन्य नियमावली में परिणामी संशोधन करने का भी निर्देश दिया था।लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि न तो उच्च न्यायालयों और न ही राज्य सरकारों ने उक्त निर्देशों के अनुसार कोई कदम उठाया है।इसके परिणामस्वरूप, उक्त मसौदा नियमों को न तो संबंधित उच्च न्यायालयों/राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया है और न ही वे लागू हुए हैं। जब तक और जब तक उच्च न्यायालयों द्वारा स्वतः संज्ञान कार्यवाही में न्यायालय द्वारा सुझाए गए मसौदा नियमों को आपराधिक मुकदमों को नियंत्रित करने वाले नियमों में शामिल नहीं किया जाता है और जब तक कि राज्य सरकारों और भारत संघ द्वारा पुलिस और अन्य नियमावली में परिणामी संशोधन नहीं किए जाते हैं, तब तक किसी भी पक्ष द्वारा आपराधिक कार्यवाही के लिए इसे सेवा में नहीं लगाया जा सकता था।मनोज और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में फैसले के पैरा**179** में की गई टिप्पणियां स्वतः संज्ञान कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दिए गए

उक्त निर्देशों के संदर्भ में थीं और इसलिए उक्त फैसले के पहले के पैरा **177** और **178** के साथ संयोजन में पढ़ने की आवश्यकता थी।अर्थात्, अभियोजन पक्ष से प्रारूप नियम संख्या का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। **4** दस्तावेज़ों की आपूर्ति से संबंधित, जब भी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों द्वारा मसौदा नियमों के उक्त सेट को अपनाया जाता है, तो उन्हें एक वैधानिक बल दिया जाता है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी मामले में, मसौदा नियम सं। **4** धारा **173,207** और **208** के तहत दस्तावेजों की आपूर्ति के संबंध में उक्त मसौदा नियमों के अध्याय **1** का हिस्सा है, जिसका पालन जांच के दौरान और मुकदमे के शुरू होने से पहले किया जाना है।उक्त मसौदा नियम सं।**4** कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जब और जब लागू किया जाता है, तो अभियुक्त द्वारा केवल जांच के दौरान और मुकदमे के दौरान ही सेवा में लगाया जा सकता है, न कि

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलीय चरण।उपरोक्त परिसर में, अपीलार्थी-अभियुक्त और अन्य अभियुक्तों की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों और मृत्यु संदर्भ मामले की सुनवाई में देरी करने का प्रयास, इस आड़ में कि उन्होंने जांचकर्ता से कुछ दस्तावेजों की मांग की थी, पूरी तरह से निंदनीय था।**[**पारस **10-12] [277-D-H; 278-A-E]**

बी.

मनोज और ओआरएस. वी.मध्य प्रदेश राज्य, निर्णय

आपराधिक अपील सं. में दिनांक **20.05.2022**। **2015** का **248-250; 2022** एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. **677;** पुनः।**v.** आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य।, **(2021) 10** एस. सी. सी. **598-**पर निर्भर था।

सी.

संदर्भित निर्णय

(2021) 10 एस**.** सी**.** सी**. 598**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **9**

एस**.** रवींद्र भट**,** जे**.** के अनुसार **[**यू**.** यू**.** ललित**,** मुख्य न्यायाधीश और स्वयं के लिए**]1.** इसलिए बनाए गए मसौदा नियम**,** राज्यों में नियमों में एकरूपता की कमी के कारण होने वाली विषमताओं को दूर करने के लिए किए गए एक व्यापक परामर्श अभ्यास का एक उत्पाद थे**,** जो साक्ष्य की सराहना में बाधा डाल सकते हैं**,** और बदले में कार्यवाही में देरी कर सकते हैं**,** विशेष रूप से अपीलीय स्तर पर।हालाँकि**,** मुकदमों को सुव्यवस्थित करने या देरी को कम करने की आवश्यकता को स्वीकार करना अभियुक्त के निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार की कीमत पर नहीं आ सकता है।**(**धारा **173,207,208** और मसौदा नियम **4** को पढ़कर**)** जो ढांचा सामने आता है**,** वह यह है कि मुकदमे की शुरुआत में प्राप्त बयानों**,** दस्तावेजों आदि की सूची के आधार पर**,** आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **91** के तहत उचित आदेश ले सकता है**,** जिसमें न्यायिक दिमाग के आवेदन पर मजिस्ट्रेट यह तय कर सकता है कि इसे बुलाया जाना चाहिए या नहीं।इसके अतिरिक्त**,** न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा **391** के आधार पर**,** अपीलीय न्यायालय**,** यदि वह आवश्यक समझता है**,** तो तर्क दर्ज करने पर आगे साक्ष्य ले सकता है **(**या इसे मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय द्वारा लेने का निर्देश दे सकता है**)**।यह ऐसी स्थिति में अभियुक्त के अधिकार की रक्षा करता है जहां अभियोजन पक्ष के कब्जे में साक्ष्य या सामग्री के बारे में चिंता जताई गई है**,** जो प्रस्तुत नहीं की गई थी**,** लेकिन मामले के मुकदमे और निपटारे के लिए सामग्री थी।**[**पैरा **10** और **14] [282-**ए-बी**; 284-**डी-एफ**]** ए

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

269

पी. पोन्नुसामी बनाम तमिलनाडु राज्य ए

2. यह कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ उच्च न्यायालय या सरकारें इस न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफल रही हैं और मसौदा नियमों को अपनाने या संबंधित पुलिस/अभ्यास नियमावली में संशोधन करने में देरी कर रही हैं**,** किसी अभियुक्त के अधिकार

(अभियोजन पक्ष के कब्जे में बयानों, दस्तावेजों, सामग्री आदि की इस सूची को प्राप्त करने के लिए) पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकती हैं, जिसे इस न्यायालय ने स्वतः संज्ञान की कार्यवाही (ऊपर निकाले गए पैराग्राफ **11**) के अपने अंतिम आदेश में स्पष्ट रूप से मान्यता दी है।इसके अलावा, यह कहने के लिए कि इस संबंध में मनोज में निर्णय, और अभियुक्त का दस्तावेजों की उक्त सूची प्राप्त करने का अधिकार,

बी.

मसौदा नियमों को अपनाने के बाद ही सामग्री आदि लागू होगी -

इससे एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा होगी जहां एक राज्य में अभियुक्त का अधिकार, दूसरे राज्य में अभियुक्त को दिए गए अधिकार से प्रतिकूल रूप से भिन्न होता है।इन परिस्थितियों में, मनोज में प्रकटीकरण आवश्यकता की उचित और उपयुक्त व्याख्या यह होगी किः

सी.

(क) आरोप तय होने के बाद यह परीक्षण चरण में लागू होता है।

डी.

(ख) न्यायालय को प्रकटीकरण का एक अवसर देने की आवश्यकता होती है, और अभियुक्त उस स्तर पर सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकता है।

ई.

(ग) यदि दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो निचली विचारण न्यायालय को अभियुक्त के बचाव के अधिकार के संदर्भ में प्रासंगिकता के नियम को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए।यदि दस्तावेज़ या सामग्री प्रासंगिक है और केवल बचाव के लिए दूरस्थ असर नहीं है, तो इसके उत्पादन को निर्देशित किया जा सकता है।इस अवसर को बार-बार नहीं मांगा जा सकता है-निचली विचारण न्यायालय आदेश जारी करने से इनकार कर सकती है, अगर उसे लगता है कि प्रयास में देरी हो रही है।

एफ.

(घ) अपीलीय स्तर पर, अभियुक्तों के अधिकारों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **391** के मानदंडों के भीतर तैयार किया जाना है।

जी.

यह कि अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, संदेह में नहीं था; लेकिन जो दोहराया जाता है वह यह है कि यह अधिकार ऊपर विस्तृत निष्पक्ष प्रकटीकरण आवश्यकता में प्रकट होता है।जबकि मुकदमे के समापन में देरी की चिंता निस्संदेह दिमाग में भारी है।

एच.

न्यायाधीश के मामले में, इसमें अभियुक्त के निष्पक्ष जांच और मुकदमे के अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता है।[पारस **16-18] [285-B-G; 286-A-C]**

मनोज और ओआरएस. वी.मध्य प्रदेश राज्य, निर्णय

आपराधिक अपील सं. में दिनांक **20.05.2022**। **2015** का **248-250; 2022** एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. **677;** पुनः।**v.** आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य।, **(2021) 10** एस. सी. सी. **598-**पर निर्भर था।

बी.

सिद्धार्थ वशिष्ठ @मनु शर्मा बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य

(2010) 6 एससीसी 1:[2010] 4 एससीआर 103; मंजीत सिंह

खेरा बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2013) 9** एस. सी. सी. **276:[2013] 8** एस. सी. आर. **511;** पी. गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य

सी.

(2020) 9 एससीसी 161:[2019] 17 एससीआर 422; वी. के. शशिकल बनाम राज्य (2012) 9 एस. सी. सी. 771:[2012] 10 एस. सी. आर. 641-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

डी.

[2010] 4 एससीआर **103**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[2013] 8 एससीआर **511**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

[2019] 17 एससीआर **422**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

ई.

[2012] 10 एससीआर **641**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील No.1926।

2021 के आर. टी. सं. 2 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 1 से।

एफ.

गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता, युग मोहित चौधरी, प्रभु रामसुब्रमण्यन, रघुनाथ सेतुपति बी., करुपुसामी पांडियन, भारतीमोहन एम., सुश्री प्रिया आर., अलागु राजा भारती बी., अविनाश, सुश्री वर्तिका, श्रीराम, सिद्धार्थ शर्मा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

जी.

वी. गिरि, एन. आर. इलांगो, वरिष्ठ अधिवक्तागण , डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., सुश्री नूपुर शर्मा, शोभित द्विवेदी, संजीव के. आर. महारा, सुश्री वैदेही रस्तोगी, सुश्री अंकिता गुप्ता, विवेक सिंह, एस. अगिलेश कुमार, अंतरिक्ष सिंह, पूर्णेन्दु बाजपेयी, ईश शरण, अनुपम मिश्रा, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

271

पी. पोन्नुसामी बनाम तमिल नाडु राज्य

ए.

न्यायालय के निर्णय * द्वारा दिए गए थे

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1) छुट्टी दे दी गई।

2) अपीलार्थी (मूल अभियुक्त सं।1) उच्च न्यायालय द्वारा 2021 के मद्रास आर. टी. संख्या 02 में पारित किए गए विवादित आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपील दायर की है, जिसमें उच्च न्यायालय ने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों को 17.10.2022 पर मामले की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया था।आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

बी.

“17. हमारी राय में, यह संचार बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है और हम रिकॉर्ड पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनाई गई ऐसी रणनीति पर अपनी अस्वीकृति को दृढ़ता से दर्ज करते हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा जिन सभी कागजातों पर भरोसा किया गया था, उन्हें जांच अधिकारी द्वारा निचली विचारण न्यायालय के समक्ष रखा गया था और धारा 207 Cr.P.C के तहत अभियुक्तों को प्रतियां प्रस्तुत की गई थीं। इनका मुकदमे के दौरान कानूनी साक्ष्य के रूप में अनुवाद किया गया है और अभियुक्त के मामले को उसके आधार पर खड़ा होना चाहिए या गिरना चाहिए जब तक कि अतिरिक्त सबूत लेने की मांग नहीं की जाती है।18. श्रीमती अंजना प्रकाश, विद्वान वरिष्ठ वकील ने उत्साहपूर्वक अनुरोध विद्वान कि उन्होंने वरिष्ठ वकील सहित सभी वकीलों के साथ चर्चा की है, जिन्हें रिकॉर्ड पर विभिन्न वकीलों द्वारा नियुक्त विद्वान गया है और 17.10.2022 तक अंतिम स्थगन की मांग की है, जिस तारीख को सभी वकीलों ने आश्वासन दिया कि वे किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेंगे।19. यह न्यायालय विद्वान अधिवक्ता को समझाता है कि जिन व्यक्तियों को मौत की सजा सुनाई गई है, उनका मामला छह महीने के भीतर पूरा किया जाना है, जबकि इस मामले में पिछले एक साल से अभियुक्तों के असहयोग के कारण कोई प्रगति नहीं हुई है।धारा 386 Cr.P.C के तहत, यदि अपीलार्थी या लोक अभियोजक का वकील उपस्थित नहीं होता है, तो यह इस न्यायालय के लिए रिकॉर्ड का अध्ययन करने और मामले को आगे बढ़ाने के लिए खुला है।जब हमने श्रीमती अंजना प्रकाश को समझाया कि लोक अभियोजक को कम से कम मामला शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है और वह बाद में उसकी दलीलों का जवाब दे सकती है, तो उन्होंने हमसे ऐसा नहीं करने का अनुरोध किया, क्योंकि अगर दोनों पक्षों की दलीलों को लगातार सुना जाए तो यह आसान होगा। उन्होंने बार-बार हमें आश्वासन दिया कि कोई भी 17.10.2022 पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।इसलिए, श्रीमती के प्रति अधिक शिष्टाचार और सम्मान के कारण।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

*एड। ध्यान दें:इस मामले में दो निर्णय थे-एक निर्णय माननीय न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने दिया और दूसरा निर्णय माननीय न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने अपने लिए और भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री उदय उमेश ललित की ओर से दिया।

एच.

ए.

अंजना प्रकाश, वरिष्ठ अधिवक्ता, मामले को 17.10.2022 तक स्थगित कर दिया गया है।"

3) अपीलार्थी 17.10.2022 पर उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बजाय, उक्त आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय में गया।इस न्यायालय ने 17.10.2022 पर निम्नलिखित आदेश पारित कियाः-

बी.

"विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन का कहना हैः

क) इस न्यायालय ने 2022 (9) स्केल 67 में रिपोर्ट किए गए मनोज और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य में पारित अपने निर्णय में, निर्णय के पैराग्राफ 170 से कुछ मुद्दों पर विचार किया, जिसके बाद पैराग्राफ 17 में निष्कर्ष निकाले गए थे।

सी.

ख) इन टिप्पणियों के आधार पर, अभियुक्त की ओर से 05.09.2022 पर एक पत्र लिखा गया था जिसमें उन दस्तावेजों की मांग की गई थी जो जांच तंत्र के कब्जे में थे।

डी.

ग) उक्त पत्र में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लिए बिना, उच्च न्यायालय मृत्यु पुष्टि मामले में सुनवाई के लिए मामले को ठीक करने के लिए आगे बढ़ा है।

हम इस याचिका पर नोटिस जारी करते हैं, जिसे 20.10.2022and पर वापस किया जा सकता है, निर्देश देते हैं कि मामले को उसी पीठ के समक्ष रखा जाए जिसने मनोज और अन्य (उपरोक्त) मामले में निर्णय दिया था।दस्ती सेवा की भी अनुमति है।

ई.

राज्य के लिए विद्वान स्थायी वकील की सेवा करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

एफ.

चूंकि मामला अंतिम निपटारे के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया है, इसलिए इस स्तर पर हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करने के अलावा कोई भी अंतरिम निर्देश पारित करना उचित नहीं समझते हैं कि मामले को अंतिम निपटारे के लिए लिए जाने की स्थिति में अंतिम आदेश न दिया जाए।"4) वर्तमान अपील में, हमें अपील या संदर्भ मामले के गुण-दोष में गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है, जो उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी को अन्य आठ अभियुक्तों के साथ चेन्नई की सिविल और सत्र न्यायालय ने आई. पी.

सी. की धारा 34 सहपठित धारा 120-बी, 109,341,302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सत्र मामला संख्या 348/2015 में दोषी ठहराया और सजा सुनाई। कुछ ए

जी.

एच.

273

पी. पोन्नुसामी बनाम तमिल नाडु राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

अभियुक्तों में से कुछ को मृत्युदंड और कुछ को आजीवन कारावास और अन्य सजा सुनाई गई थी।सत्र न्यायालय ने अपने फैसले और आदेश को उच्च न्यायालय को धारा 366 Cr.P.C के तहत कुछ अभियुक्तों को दी गई मौत की सजा की पुष्टि के लिए भेजा था, जिसे 2021 के आरटी नंबर 02 के रूप में पंजीकृत किया गया था।अभियुक्त ने उक्त सत्र मामले में सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग नौ अपीलें भी दायर की थीं।उक्त सभी अपीलों को उच्च न्यायालय द्वारा 2021 के आरटी संख्या 02 के साथ जोड़ने का निर्देश दिया गया था।

बी.

5) विवादित आदेश से प्रेरित होकर, उच्च न्यायालय ने पक्षों की ओर से पेश होने वाले सभी अधिवक्ताओं की सुविधा का पता लगाने के बाद दिनांकित 27.04.2022 के आदेश के अनुसार 15.06.2022 पर अंतिम सुनवाई की तारीख तय की थी।इसके बाद, रोस्टर को बदल दिया गया और मामलों को 06.09.2022 पर सूचीबद्ध किया गया, जिस तारीख को अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई थी और इसलिए, इसे अंतिम निपटान के लिए फिर से 14.09.2022 पर स्थगित कर दिया गया था।14.09.2022 पर, हालांकि राज्य लोक अभियोजक बहस करने के लिए तैयार था, दिल्ली के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुआ और उच्च न्यायालय से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध विद्वान ।उस समय, राज्य लोक अभियोजक ने उच्च विद्वान अधिवक्ता श्री जी. श्रीराम द्वारा भेजे गए एक पत्र की ओर आकर्षित किया, जो वर्तमान अपीलार्थी (आरोपी नं.1) पी. पोन्नुसामी, आरोपी नं. 02 मैरी पुष्पम और आरोपी नं. 03 बेसिल ने निरीक्षक (कानून और व्यवस्था) ई-4 अबीरामपुरम पुलिस स्टेशन, चेन्नई को संबोधित करते हुए उन्हें कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए कहा, जिसमें कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (मनोज और अन्य बनाम के मामले में) के आलोक में, उनके मामले के निष्पक्ष निर्णय के लिए उक्त दस्तावेजों की आवश्यकता थी। मध्य प्रदेश राज्य, 2015 की आपराधिक अपील सं. 248-250 20 मई, 2022 को तय की गई)।उक्त पत्र को राज्य लोक अभियोजक द्वारा रिकॉर्ड में रखा गया था।उक्त तिथि पर, दिल्ली से आए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि उन्होंने अपीलार्थियों की ओर से पेश होने वाले सभी वकीलों

के साथ चर्चा की है और सभी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे 17.10.2022 पर सुनवाई के साथ आगे बढ़ेंगे।उच्च न्यायालय ने उन्हें बताया कि मामला मृत्युदंड की सजा से संबंधित है, जिसे छह महीने के भीतर पूरा किया जाना था और पिछले एक साल से आरोपी के असहयोग के कारण मामले में कोई प्रगति नहीं हुई थी।हालांकि, उन्होंने बार-बार न्यायालय को आश्वासन दिया कि कोई भी 17.10.2022 पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

और इसलिए उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रति सरासर शिष्टाचार और सम्मान के कारण मामले को 17.10.2022 तक स्थगित कर दिया।

6) वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा इस तरह का आश्वासन दिए जाने के बावजूद-उच्च न्यायालय में अन्य अपीलार्थियों की ओर से पेश होने वाले अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित-संदर्भ मामले और अपीलों की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने के लिए, अपीलार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष 17.10.2022 पर निर्धारित सुनवाई में बाधा डालने के लिए इस न्यायालय में पहुंचे।पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं द्वारा अपनाई गई इस तरह की विलंबकारी रणनीति और इस तरह वर्तमान जैसे मामलों में न्याय के मार्ग को भटकाना, जहां कुछ अपीलार्थी-अभियुक्तों को मृत्युदंड और आजीवन कारावास की कुछ सजा का सामना करना पड़ रहा है, की दृढ़ता से निंदा की जाती है।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सत्र न्यायालयों द्वारा उच्च न्यायालय को भेजे गए मृत्यु संदर्भ मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उच्च न्यायालय द्वारा यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः छह महीने के भीतर सुनवाई और पूरा किया जाना चाहिए।तथापि, आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों, जिन्हें हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है, से प्रेरित होकर, यह केवल अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित वकीलों की ओर से सहयोग के कारण था, उच्च न्यायालय संदर्भ मामले की सुनवाई करने में सक्षम नहीं था।न्यायालय को वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय के लिए न्यायालयों

की सहायता करने के अपने कर्तव्यों के बारे में याद दिलाने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, और विलंबकारी रणनीति में शामिल होने और न्याय के कारण में बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

7) यह कहने के बाद, आइए हम अपने सामने की गई प्रस्तुतियों के गुण-दोष की जांच करें।द्वारा की गई टिप्पणियों पर भारी निर्भरता रखना

मनोज और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में यह न्यायालय

(ऊपर), अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत विद्वान कि अपीलार्थी ने अन्य दो अभियुक्तों के साथ 05.09.2022 पर निरीक्षक (कानून और व्यवस्था) ई-4 अबीरामपुरम पुलिस स्टेशन, चेन्नई को संबोधित एक पत्र भेजा था जिसमें उनसे पत्र में उल्लिखित कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध विद्वान गया था, जो मामले में निष्पक्ष निर्णय के लिए आवश्यक थे।उन्होंने आगे कहा कि जब तक उक्त पत्र में उल्लिखित अभियुक्तों द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की प्रतियां उन्हें प्रस्तुत नहीं की जाती हैं, तब तक उनके लिए उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों या संदर्भ मामले की सुनवाई के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं है।उनके अनुसार, मनोज के मामले में इस न्यायालय द्वारा पैरा 177 से लेकर 179 तक की गई टिप्पणियाँ

एफ.

जी.

और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (ऊपर) बहुत अधिक थे

शक्तिशाली राज्य की पुलिस मशीनरी द्वारा की गई निष्पक्ष जांच के लिए अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण; और यह कि हित ए

एच.

न्यायाधीश ने वारंट किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 2021 के आर. टी. सं. 02 की आगे की सुनवाई पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक कि अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्तों को उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेज प्रदान नहीं किए जाते।8) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा की गई उक्त दलीलें उचित रूप से खारिज किए जाने के योग्य हैं, जो कानून की सरासर गलत धारणा और मनोज के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की गलत व्याख्या के कारण की गई हैं।

बी.

और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (ऊपर)।सटीक

मनोज और अन्य लोगों के उक्त मामले में फैसले के पैरा 177,178 और 179 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को यहां प्रस्तुत किया जा सकता हैः- “177. इस तरह, लोक अभियोजक और फिर निचली अदालत की जांच, दोनों ही राज्य की पुलिस मशीनरी की ताकत का सामना करने पर आरोपी के निष्पक्ष जांच के अधिकार की रक्षा करने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं।

सी.

178. अपर्याप्तता और कमियों के संबंध में आपराधिक परीक्षण दिशानिर्देशों में इस न्यायालय के हाल के तीन न्यायाधीशों के फैसले में इस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था, बनाम आंध्र प्रदेश राज्य।इस न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला है, जो एक निष्पक्ष सुनवाई में बाधा डालेगी, और अन्य बातों के साथ-साथ, सभी राज्यों और उच्च न्यायालयों द्वारा इस संबंध में नियम तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें जांच के दौरान जब्त की गई और ली गई सभी सामग्रियों के उल्लेख वाली सूची का बाध्यकारी खुलासा किया जाना चाहिए।सभी राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक मसौदा दिशानिर्देश इस प्रकार हैः

डी.

ई.

“4. धारा 173,207 और 208 CR.PC के तहत दस्तावेजों की आपूर्ति

एफ.

प्रत्येक अभियुक्त को धारा 161 और 164 के तहत दर्ज गवाह के बयान और जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों, सामग्री वस्तुओं और प्रदर्शनों की एक सूची प्रदान की जाएगी और जांच अधिकारी (आई. ओ.) द्वारा धारा 207 और 208 के अनुसार उन पर भरोसा किया जाएगा।

जी.

व्याख्याःबयानों, दस्तावेजों, भौतिक वस्तुओं और प्रदर्शनों की सूची में ऐसे बयान, दस्तावेज, भौतिक वस्तुएं और प्रदर्शन निर्दिष्ट होंगे जिन पर जांच अधिकारी भरोसा नहीं करता है।"

एच.

276

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 15 एस सी आर।

179. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्षता के हित में, नियम के रूप में, सभी आपराधिक मुकदमों में, उपरोक्त नियम का पालन करना चाहिए, और बयानों, दस्तावेजों, भौतिक वस्तुओं और प्रदर्शनों की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए जिन पर जांच अधिकारी भरोसा नहीं करता है।आपराधिक मुकदमों में अदालतों के पीठासीन अधिकारी ऐसे नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।"

बी.

9) यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय द्वारा सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों और भारत संघ को एक आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय द्वारा शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही में दिशानिर्देशों का मसौदा दिया गया था, जिसमें न्यायालय ने आपराधिक मुकदमों के दौरान होने वाली कुछ सामान्य कमियों और आपराधिक कार्यवाही में निचली न्यायालयों द्वारा अपनाई गई कुछ प्रथाओं को देखा था। उक्त स्वतः संज्ञान कार्यवाही के रूप में दर्ज की गई थी

सी.

" अपर्याप्तता और कमियों के संबंध में आपराधिक परीक्षण दिशानिर्देश, बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 1." द.

डी.

उक्त मामला, अन्य बातों के अलावा, उस तरीके के संबंध में कमियों/खामियों से संबंधित है जिसमें दस्तावेज़ (गवाहों की सूची, प्रदर्शनों की सूची, भौतिक वस्तुओं की सूची) का उल्लेख किया गया है और निर्णयों में प्रस्तुत किया गया है और प्रदर्शित किया गया है, और चोट की रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में समान प्रथाओं की कमी, गवाहों का अभिसाक्ष्य, अभिसाक्ष्यों का अनुवाद, गवाहों की संख्या और नामकरण, भौतिक वस्तुओं की लेबलिंग आदि जो अक्सर विषमताओं का कारण बनती है और साक्ष्य की सराहना में बाधा डालती है, जो बदले में विशेष रूप से अपीलीय चरण में कार्यवाही को लंबा करने की प्रवृत्ति थी।उक्त मामले में विचारण न्यायालय ने देखा था कि इन पहलुओं पर, कुछ उच्च न्यायालयों ने नियम बनाए थे, हालांकि

कुछ ने नहीं बनाए थे, जिसके कारण उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर प्रशंसा के उद्देश्य से निचली विचारण न्यायालय की कार्यवाही और रिकॉर्ड की प्रस्तुति के संबंध में स्पष्टता और एकरूपता की कमी हो गई थी।उक्त मामले में न्यायालय ने न्यायमित्र क्यूरी और उच्च न्यायालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से पेश वकीलों के सुझावों/प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद न्यायमित्र क्यूरी द्वारा तैयार किए गए "आपराधिक व्यवहार के मसौदा नियम 2020" पर निम्नलिखित निर्देश दिए थे।-

ई.

एफ.

जी.

“19. न्यायालय की राय है कि आपराधिक व्यवहार के मसौदा नियम, 2021 (जो वर्तमान आदेश के साथ संलग्न हैं, और इसे इसके हिस्से के रूप में पढ़ा जाएगा) को इसके संदर्भ में अंतिम रूप दिया जाना चाहिए -

1 (2021) 10 एससीसी 598 ए

एच.

277

पी. पोन्नुसामी बनाम तमिल नाडु राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

ऊपर की चर्चा।इसके लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:19.1.सभी उच्च न्यायालय आपराधिक मुकदमों को नियंत्रित करने वाले नियमों के हिस्से के रूप में उक्त मसौदा नियम, 2021 को शामिल करने के लिए तेजी से कदम उठाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मौजूदा नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों और व्यवहार निर्देशों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए और आज से 6 महीने के भीतर (जहां भी आवश्यक हो, आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से) घोषित किया जाए।यदि इस संबंध में राज्य सरकार का सहयोग आवश्यक है, तो संबंधित विभाग या विभागों की मंजूरी और उक्त मसौदा नियमों की औपचारिक अधिसूचना छह महीने की उक्त अवधि के भीतर की जाएगी।

बी.

सी.

19.2.राज्य सरकारों के साथ-साथ भारत संघ (अपने नियंत्रण में जांच एजेंसियों के संबंध में) आज से छह महीने के भीतर अपनी पुलिस और अन्य नियमावली में परिणामी संशोधन करेगा। यह निर्देश विशेष रूप से मसौदा नियम 1-3 के संबंध में लागू होता है।उपयुक्त प्रपत्र और दिशा-

निर्देश आज से छह महीने के भीतर लागू किए जाएंगे और सभी एजेंसियों को तदनुसार निर्देश दिए जाएंगे।"

डी.

10) उपरोक्त से, यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि इस न्यायालय ने पूर्व में उल्लिखित स्वतः संज्ञान कार्यवाही में सभी उच्च न्यायालयों को आपराधिक मुकदमों को नियंत्रित करने वाले नियमों के हिस्से के रूप में उक्त मसौदा नियमों को शामिल करने के लिए त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मौजूदा नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों और प्रथाओं को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए और घोषित किया जाए, जहां भी आवश्यक हो, उक्त आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से।न्यायालय ने राज्य सरकारों के साथ-साथ भारत संघ को पुलिस और अन्य नियमावली में परिणामी संशोधन करने का भी निर्देश दिया था।लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि न तो उच्च न्यायालयों और न ही राज्य सरकारों ने उक्त निर्देशों के अनुसार कोई कदम उठाया है।इसके परिणामस्वरूप, उक्त मसौदा नियमों को न तो संबंधित उच्च न्यायालयों/राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया है और न ही वे लागू हुए हैं।जब तक और जब तक उच्च न्यायालयों द्वारा स्वतः संज्ञान कार्यवाही में न्यायालय द्वारा सुझाए गए मसौदा नियमों को आपराधिक मुकदमों को नियंत्रित करने वाले नियमों में शामिल नहीं किया जाता है और जब तक कि राज्य सरकारों और भारत संघ द्वारा पुलिस और अन्य नियमावली में परिणामी संशोधन नहीं किए जाते हैं, तब तक किसी भी पक्ष द्वारा आपराधिक कार्यवाही के लिए इसे सेवा में नहीं लगाया जा सकता था।पैरा में की गई टिप्पणियाँ

ई.

एफ.

जी.

179 मनोज और अन्य बनाम मध्य राज्य के मामले में निर्णय

प्रदेश **(**सुप्रा**)** द्वारा दिए गए उक्त निर्देशों के संदर्भ में थे

एच.

278

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 15 एस सी आर।

स्वतः संज्ञान कार्यवाही में न्यायालय और इसलिए उक्त निर्णय के पहले के पैरा 177 और 178 के साथ संयोजन में पढ़ने की आवश्यकता थी।अर्थात्, अभियोजन पक्ष से प्रारूप नियम संख्या का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। 4 दस्तावेज़ों की आपूर्ति से संबंधित, जब भी उच्च

न्यायालयों और राज्य सरकारों द्वारा मसौदा नियमों के उक्त सेट को अपनाया जाता है, तो उन्हें एक वैधानिक बल दिया जाता है।

बी.

11) यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी मामले में, मसौदा नियम सं। 4 धारा 173,207 और 208 के तहत दस्तावेजों की आपूर्ति के संबंध में उक्त मसौदा नियमों के अध्याय 1 का हिस्सा है, जिसका पालन जांच के दौरान और मुकदमे के शुरू होने से पहले किया जाना है।उक्त मसौदा नियम सं।4 कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जब और जब लागू किया जाता है, तो अभियुक्त द्वारा केवल जांच के दौरान और मुकदमे के दौरान ही सेवा में लगाया जा सकता है, न कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलीय स्तर पर।

सी.

12) उपरोक्त परिसर में, अपीलार्थी-अभियुक्त और अन्य अभियुक्तों की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों और मृत्यु संदर्भ मामले की सुनवाई में देरी करने का प्रयास, इस आड़ में कि उन्होंने जांच अधिकारी से कुछ दस्तावेजों की मांग की थी, पूरी तरह से निंदनीय था।जैसा कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में कहा, "अभियोजन पक्ष द्वारा जिन सभी दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उन्हें जांच अधिकारी द्वारा निचली विचारण न्यायालय के समक्ष रखा गया था और धारा 207 Cr.P.C के तहत अभियुक्तों को प्रतियां प्रस्तुत की गई थीं। उनका मुकदमे के दौरान कानूनी साक्ष्य के रूप में अनुवाद किया गया है और जब तक कि अतिरिक्त साक्ष्य लेने की मांग नहीं की जाती है, तब तक अभियुक्त के मामले को उसके आधार पर खड़ा होना चाहिए या गिरना चाहिए।”

डी.

ई.

एफ.

13) यह न्यायालय मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं करता है, और वर्तमान अपील को गुण-दोष से रहित होने के कारण खारिज कर देता है।

14) रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों को प्रसारित करने का निर्देश दिया जाता है, जो बदले में इसे अपने संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों को प्रसारित करेंगे।

जी.

एस. रवींद्र भट्ट, न्याय०

1. छुट्टी दे दी गई।यह अपील मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा आर. टी. सं. 2/2021 में दिनांकित 14.09.2022 आदेश से उत्पन्न होती है।उन कार्यवाही में, उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा मुख्य कार्यवाही की सुनवाई तय की थी-जो एक मृत्यु संदर्भ है।

एच.

279

पी. पोन्नुसामी बनाम तमिल नाडु राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

2. अपीलार्थी और कुछ अन्य लोगों को अन्य प्रावधानों और धारा 120 बी के साथ आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था। अपीलार्थी (ए 1); ए 3; ए 4; ए 5; ए 7; ए 8 और ए 9 को मौत की सजा सुनाई गई।नतीजतन, उच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया, जिसने सभी कार्यवाहियों को जब्त कर लिया और समय-समय पर इसकी सुनवाई की।सभी वकीलों की सुविधा का पता लगाने के बाद 27.04.2022 पर अपीलों को 15.06.2022 पर अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।जे. बेला त्रिवेदी के फैसले में इन सभी तथ्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है।उच्च न्यायालय के समक्ष आगे की कार्यवाही, सुनवाई और 14.09.2022 पर किया गया आदेश, जिसमें 05.09.2022 पर अपीलार्थी की ओर से लोक अभियोजक को लिखे गए पत्र में सूचीबद्ध दस्तावेजों को पेश करने के लिए राज्य को निर्देश देने से इनकार किया गया है, यहाँ आक्षेपित है।

बी.

सी.

3. जे. बेला त्रिवेदी द्वारा एक अपील को अस्वीकार करने का प्रस्तावित अंतिम आदेश, हमारी राय में मामले की परिस्थितियों में उचित है।हालाँकि, हम सुओ मोटू डब्ल्यू. पी. में दिए गए निर्देशों की प्रकृति के बारे में उनके आदेश के दौरान की गई टिप्पणियों से सहमत नहीं हैं। (सीआरएल।) 2017 का सं. 1, अभियुक्त के जाँच के दौरान जब्त या एकत्र किए गए दस्तावेज़ों या सामग्री के साथ आपूर्ति किए जाने के अधिकार के संबंध में, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया गया।

डी.

4. आपराधिक अपील 1 और संबंधित मामलों की सुनवाई करते समय, समान दिशानिर्देशों के अभाव में आपराधिक मुकदमे और मामलों के निपटारे के दौरान निचली अदालतों द्वारा अपनाई गई सामान्य कमियों और प्रथाओं के बारे में चिंता जताई गई थी।इसके परिणामस्वरूप सुओ मोटू डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) हुआ। 2017 का सं. 1, जिसमें इस न्यायालय ने न्याय मित्र नियुक्त किया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी उच्च न्यायालयों और सरकारों को नोटिस जारी किया, ताकि देश भर में समान सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने के लिए

व्यवहार/आपराधिक नियमावली के नियमों में संशोधन की आवश्यकता के बारे में सामान्य सहमति बनाई जा सके।2 न्यायालय ने उच्च न्यायालयों की प्रथाओं और नियमों में मुख्य पहलुओं और विसंगतियों का उल्लेख किया।

ई.

एफ.

5. एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई।सबसे पहले, उच्च न्यायालयों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने अपने जवाब दाखिल किए।इन्हें ध्यान में रखते हुए, न्यायमित्र ने एक परामर्श पत्र तैयार किया और हितधारकों से लिखित प्रतिक्रियाएं आमंत्रित कीं।इसके बाद, इस पेपर पर चर्चा करने के लिए 30.03.2019 पर एकोलोक्वियम बुलाया गया, जिसमें उच्च न्यायालय, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें और पुलिस विभाग शामिल थे

जी.

1 आपराधिक अपील सं. 400/2006

2 सुओ मोटू डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) सं. 1/2017 में दिनांकित 30.03.2017 आदेश।

एच.

भाग लिया।प्रतिक्रिया के आधार पर, न्यायमित्र ने 'आपराधिक व्यवहार के मसौदा नियम, 2020' वाली एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे 05.03.2020 पर रिकॉर्ड में लिया गया और 3 को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया।

6. उसी पर निर्देश पारित करने से पहले, इस न्यायालय ने इन मसौदा नियमों पर उच्च न्यायालयों को फिर से सुनना उचित समझा।4 एक बार जब सभी उच्च न्यायालयों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो गईं, तो मामले की सुनवाई की गई; दिनांक 1-5 के अंतिम आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि कुछ पहलुओं-विचलन या अतिरिक्त दृष्टिकोण को छोड़कर अधिकांश सुझावों पर सहमति हो गई थी।

बी.

सी.

7. न्यायमित्र ने बताया था कि मुकदमा शुरू होने से पहले, अभियुक्त को केवल अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों और बयानों की एक सूची प्राप्त होती है, लेकिन अभियोजन पक्ष

के कब्जे में अन्य सामग्री पर उसे अंधेरे में रखा जाता है, भले ही इसका छूट मूल्य हो।इस पर न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहाः

डी.

“11. ... इस न्यायालय की राय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207,208 के तहत बयानों, दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं की सूची प्रस्तुत करते समय, मजिस्ट्रेट को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य सामग्रियों की सूची, (जैसे बयान, या जब्त की गई वस्तुएं/दस्तावेज, लेकिन जिन पर भरोसा नहीं किया गया है) अभियुक्त को प्रस्तुत की जानी चाहिए।यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यदि अभियुक्त का विचार है कि ऐसी सामग्री को उचित और न्यायपूर्ण मुकदमे के लिए पेश किया जाना आवश्यक है, तो वह उन्हें पेश करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 7 के तहत उचित आदेश ले सकता है।

ई.

3 <HTTPS://मुख्य।विज्ञान.गव./ पीडीएफ/एलयू/06032020 _ 103012 में।पी. डी. एफ.> (31.10.2022,18 पर पहुँचा गयाः28 पी. एम.)

4 दिनांकित 27.10.2020 आदेश देखें, और फिर से सुओ मोटू WP (CRL) संख्या 1/17 में 19.01.2021 पर देखें।

एफ.

5 अपर्याप्तता और कमियों के संबंध में आपराधिक परीक्षण दिशानिर्देशों के रूप में रिपोर्ट किया गया।v. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2021) 10 एस. सी. सी. 598।

6 उदाहरण के लिए, पैरा 9।

7 "91. दस्तावेज़ या अन्य चीज़ प्रस्तुत करने के लिए समन।—(1) जब भी कोई न्यायालय या कोई

एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी का मानना है कि इस संहिता के तहत किसी भी जांच, जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए किसी भी दस्तावेज या अन्य चीज़ को प्रस्तुत करना आवश्यक या वांछनीय है, ऐसा न्यायालय या अधिकारी उस व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसा दस्तावेज या चीज़ माना जाता है, जिससे उसे समन या आदेश में बताए गए समय और स्थान पर उपस्थित होने और पेश करने या पेश करने की आवश्यकता होती है।(2) इस धारा के तहत केवल एक दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति यह समझा जाएगा कि उसने मांग का पालन किया है यदि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय ऐसे दस्तावेज या चीज को पेश करता है।(3) इस ए में कुछ भी नहीं है

जी.

एच.

मुकदमे के दौरान, न्याय के हित में।यह तदनुसार निर्देशित किया जाता है; मसौदा नियमों को तदनुसार संशोधित किया गया है।[नियम 4 (i)] "(जोर दिया गया) 8।आपराधिक व्यवहार के मसौदा नियम 2021 का नियम 4, जिसे इस अदालत के आदेश के साथ जोड़ा गया था और जिसे इसका हिस्सा माना गया था, इस प्रकार हैः

बी.

“4. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173,207 और 208 के तहत दस्तावेजों की आपूर्ति-(i) प्रत्येक आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज गवाह के बयान और जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों, सामग्री वस्तुओं और प्रदर्शनों की सूची दी जाएगी और जांच अधिकारी (आई. ओ.) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 और 208 के अनुसार उन पर भरोसा किया जाएगा।

सी.

व्याख्याःबयानों, दस्तावेजों, सामग्री वस्तुओं और प्रदर्शनों की सूची में बयान, दस्तावेज, सामग्री वस्तुएं और प्रदर्शन निर्दिष्ट होंगे जिन पर जांच अधिकारी भरोसा नहीं करते हैं।”9. निम्नलिखित निर्देशों के साथ मामले का निपटारा किया गयाः“19. न्यायालय की राय है कि आपराधिक व्यवहार के मसौदा नियम, 2021 (जो वर्तमान आदेश के साथ संलग्न हैं, और इसे इसके हिस्से के रूप में पढ़ा जाएगा) को उपरोक्त चर्चा के संदर्भ में अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।इसके लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैंः19.1.सभी उच्च न्यायालय आपराधिक मुकदमों को नियंत्रित करने वाले नियमों के हिस्से के रूप में उक्त मसौदा नियम, 2021 को शामिल करने के लिए तेजी से कदम उठाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मौजूदा नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों और व्यवहार निर्देशों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए और आज से 6 महीने के भीतर (जहां भी आवश्यक हो, आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से) घोषित किया जाए।यदि इस संबंध में राज्य सरकार का सहयोग आवश्यक है, तो संबंधित विभाग या विभागों की मंजूरी और उक्त मसौदा नियमों की औपचारिक अधिसूचना छह महीने की उक्त अवधि के भीतर की जाएगी।

डी.

ई.

एफ.

19.2.राज्य सरकारों के साथ-साथ भारत संघ (अपने नियंत्रण में जांच एजेंसियों के संबंध में) आज से छह महीने के भीतर अपनी पुलिस और अन्य नियमावली में परिणामी संशोधन करेगा। यह निर्देश विशेष रूप से मसौदा नियम 1-3 के संबंध में लागू होता है।उपयुक्त प्रपत्र और दिशानिर्देश होंगे -

जी.

धारा-(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 या बैंकर पुस्तक साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) को प्रभावित करती है या (ख) डाक या तार प्राधिकरण की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या वस्तु पर लागू होती है।"

एच.

आज से छह महीने के भीतर लागू किया गया और सभी एजेंसियों को तदनुसार निर्देश दिए गए।"

10. इसलिए बनाए गए मसौदा नियम, राज्यों में नियमों में एकरूपता की कमी के कारण होने वाली विषमताओं को दूर करने के लिए किए गए एक गहन परामर्श अभ्यास का एक उत्पाद थे, जो साक्ष्य की सराहना में बाधा डाल सकते हैं, और बदले में कार्यवाही में देरी कर सकते हैं, विशेष रूप से अपीलीय स्तर पर।हालाँकि, मुकदमों को सुव्यवस्थित करने या देरी को कम करने की आवश्यकता को स्वीकार करना अभियुक्त के निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार की कीमत पर नहीं आ सकता है।11. सिद्धार्थ वशिष्ठ @मनु में मामले के कानून पर ध्यान देना।

बी.

शर्मा बनाम एन. सी. टी. दिल्ली राज्य 8, मनोज और अन्य बनाम मामले में यह न्यायालय।की स्थिति

मध्य प्रदेश 9 ने सामग्री की जांच करके और निष्पक्ष प्रकटीकरण सुनिश्चित करके अभियुक्त के निष्पक्ष जांच और मुकदमे के अधिकार की रक्षा करने में लोक अभियोजक और न्यायालय द्वारा निभाई गई दोहरी भूमिका पर प्रकाश डाला।इसके आलोक में, और उपरोक्त मसौदा नियम 4, इस न्यायालय ने मनोज में यह निर्णय दिया किः

सी.

"...उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्षता के हित में, नियम के रूप में, सभी आपराधिक मुकदमों में, उपरोक्त नियम का पालन करना चाहिए, और बयानों, दस्तावेजों, भौतिक वस्तुओं और प्रदर्शनों की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए जिन पर जांच अधिकारी भरोसा नहीं करता है।आपराधिक मुकदमों में अदालतों के पीठासीन अधिकारी ऐसे नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।"

डी.

ई.

12. मनु शर्मा (जैसा कि मनोज में देखा गया है) में निर्णय के अलावा, एक और निर्णय है-मंजीत सिंह खेड़ा बनाम महाराष्ट्र राज्य 10-जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि कैसे प्रकटीकरण की आवश्यकता, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है।11 वी. के. शशिकल बनाम में अपने पिछले निर्णय पर भरोसा करते हुए।

एफ.

राज्य 12, इस न्यायालय ने मंजीत सिंह खेड़ा में उल्लेख कियाः

"...उस मामले में, दस्तावेजों को न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (5) के तहत अदालत में भेजा गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा उन पर भरोसा नहीं किया गया था

8 (2010) 6 एस. सी. सी. 1 ('मनु शर्मा' के रूप में संदर्भित)।पैराग्राफ 187,199,201,202 देखें,

218-222 (मनोज और ओआरएस. वी. में भरोसा किया।मध्य प्रदेश राज्य)।

9 2015 की आपराधिक अपील संख्या 248-250 में दिनांकित 20.05.2022 निर्णय; 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 677।

जी.

10 (2013) 9 एस. सी. सी. 276

11 पी. गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य (2020) 9 एस. सी. सी. 161 में भी इसकी पुष्टि की गई थी, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "1973 की संहिता की धारा 207 के तहत अभियुक्त को दस्तावेज प्रस्तुत करना संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित निष्पक्ष मुकदमे के लिए अभियुक्त के अधिकार का एक पहलू है।"

12 (2012) 9 एससीसी 771 ए

एच.

और अभियुक्त उन दस्तावेजों की प्रतियाँ/निरीक्षण चाहता था।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त को इन दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति करना निचली विचारण न्यायालय का दायित्व है क्योंकि यह हक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच/सुनवाई का एक पहलू है और यह एक निष्पक्ष सुनवाई की प्रक्रिया का एक अविभाज्य गुण है जिसकी संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक अभियुक्त को गारंटी देता है।हम इस पहलू पर चर्चा करते हुए उक्त निर्णय के निम्नलिखित भाग को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगेः(वी. के. शशिकल मामला [वी. के. शशिकल बनाम राज्य, (2012) 9 एस. सी. सी. 771:(2013) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1010], एस. सी. सी. पी.788, पैरा 21)

बी.

“21. इसलिए, हमारे सामने जो मुद्दा सामने आया है, वह राज्य द्वारा पेश किए गए मुद्दे और उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए गए मुद्दे से कुछ बड़ा है।उत्पन्न होने वाला प्रश्न अब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के प्रावधानों के अनुपालन या गैर-अनुपालन का नहीं होगा और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की सख्त भाषा की सीमा से परे जाएगा और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मुकदमे के बड़े सिद्धांत को छूएगा जिसे अदालतों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या पर बड़ी मेहनत से बनाया गया है।यह अनुरोध करने का चरण नहीं है; समय का प्रवाह जो हुआ है या अभियुक्त का पूर्व आचरण जो सामग्री है।महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी स्थिति में आरोपी न्यायालय में यह तर्क देते हुए आता है कि जांच एजेंसी द्वारा न्यायालय को भेजे गए कुछ कागजात अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्शित नहीं किए गए हैं क्योंकि वही आरोपी के पक्ष में हैं तो न्यायालय को आरोपी को उक्त दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार स्वीकार करना चाहिए, यदि ऐसा दावा किया जाता है।हमारे अनुसार, यह मामले में मुख्य मुद्दा है जिसका सकारात्मक जवाब दिया जाना चाहिए।इस संबंध में, हम यह स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि हमें उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण [वी. के. शशिकल बनाम राज्य, 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन कार 9209] से सहमत होना मुश्किल लगता है कि अभियुक्त को पूर्वाग्रह की याचिका का परीक्षण करने के लिए मुकदमे के समापन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो उसने उठाई होगी।इस तरह की याचिका का जवाब जल्द से जल्द और निश्चित रूप से मुकदमे के समापन से पहले दिया जाना चाहिए, भले ही इसे आरोपी द्वारा देर से उठाया जा सके।इस तरह हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र में न्याय के पैमाने को संतुलित करना होगा।” (जोर दिया गया) 13.यह सच है कि वी. के. शशिकल (उपरोक्त) में यह अदालत उन सामग्री/दस्तावेजों पर विचार कर रही थी जिन्हें न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को भेजा गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जिसमें जांच अधिकारी जब्त किए गए दस्तावेजों, सामग्री या सबूतों की अनदेखी करता है या उन पर भरोसा नहीं करता है जो आरोपी का पक्ष लेते हैं, और इसे मजिस्ट्रेट को भेजने में विफल रहता है [जैसा कि धारा 173 सीआरपीसी, विशेष रूप से उप-धारा (6) के तहत आवश्यक है]।केवल इसलिए कि यह पहले से ही अदालत के रिकॉर्ड में नहीं है, अभियुक्त को ऐसी सामग्री तक पहुँचने से वंचित नहीं कर सकता है जिसका न्यायालयात्मक मूल्य हो सकता है।जाँच के दौरान या अभियोजन पक्ष के कब्जे में जब्त किए गए सभी दस्तावेजों, सामग्री, साक्ष्य आदि की एक सूची (मुकदमे की शुरुआत में) प्रदान करने की आवश्यकता को पेश करते हुए, स्वतः संज्ञान कार्यवाही में इस अंतर को पहचाना गया और संबोधित किया गया (अंतिम आदेश के पैराग्राफ 11), और मसौदा नियम 4 के पाठ में उपयुक्त रूप से संहिताबद्ध किया गया, भले ही अभियोजन पक्ष ने उस पर भरोसा करने की योजना बनाई हो।मनोज के तथ्यों ने ऐसी स्थिति (अभियुक्त के पक्ष में साक्ष्य के दमन की) को प्रतिबिंबित किया है, इसी तरह इस अधिकार के विस्तार की आवश्यकता है।

बी.

सी.

14. (धारा 173,207,208 और मसौदा नियम 4 को पढ़कर) जो ढांचा सामने आता है, वह यह है कि मुकदमे की शुरुआत में प्राप्त बयानों, दस्तावेजों आदि की सूची के आधार पर, आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत उचित आदेश ले सकता है, जिसमें न्यायिक दिमाग के आवेदन पर मजिस्ट्रेट यह तय कर सकता है कि इसे बुलाया जाना चाहिए या नहीं।इसके अतिरिक्त, न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 391 13 के आधार पर, अपीलीय न्यायालय, यदि वह आवश्यक समझता है, तो तर्क दर्ज करने पर आगे का साक्ष्य ले सकता है (या इसे मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय द्वारा लेने का निर्देश दे सकता है)।यह उस स्थिति में अभियुक्त के अधिकार की रक्षा करता है जब अभियोजन पक्ष के पास साक्ष्य या सामग्री के बारे में चिंता जताई गई है, जो प्रस्तुत नहीं की गई थी, लेकिन मामले के मुकदमे और निपटारे के लिए सामग्री थी।

डी.

ई.

15. 2017 के एस. एम. डब्ल्यू. (सी. आर. एल.) नंबर 1 में विविध आवेदन संख्या 505/2022 के माध्यम से, इस न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया था कि कुछ

एफ.

13 391.अपीलीय न्यायालय आगे साक्ष्य ले सकता है या इसे लेने का निर्देश दे सकता है।—(1) में।

इस अध्याय के तहत किसी भी अपील से निपटने के लिए, अपीलीय न्यायालय, यदि वह अतिरिक्त साक्ष्य को आवश्यक समझता है, तो अपने कारणों को दर्ज करेगा और या तो ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकता है, या इसे मजिस्ट्रेट द्वारा लेने का निर्देश दे सकता है, या जब अपीलीय न्यायालय सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा उच्च न्यायालय है।

जी.

(2) जब सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है, तो वह अपीलीय न्यायालय को ऐसे साक्ष्य को प्रमाणित करेगा और फिर ऐसा न्यायालय अपील का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(3) अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने पर अभियुक्त या उसके वकील को उपस्थित होने का अधिकार होगा।

(4) इस धारा के तहत साक्ष्य लेना अध्याय XXIII के प्रावधानों के अधीन होगा, जैसे कि यह एक जांच थी।

एच.

285

पी. पोन्नुसामी बनाम तमिल नाडु राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

राज्यों ने अनुपालन किया था, और अन्य ने समयबद्ध तरीके से (6 महीने) मसौदा नियमों को अपनाने और पुलिस नियमावली आदि में संशोधन करने के संबंध में दिनांक 14 के अंतिम आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया था। 15 राज्यों को 8 सप्ताह के भीतर अनुपालन करने का निर्देश दिया गया था और मामला अभी भी लंबित है।

बी.

16. यह कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ उच्च न्यायालय या सरकारें इस न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफल रही हैं और मसौदा नियमों को अपनाने या संबंधित पुलिस/अभ्यास नियमावली में संशोधन करने में देरी कर रही हैं, किसी अभियुक्त के अधिकार (अभियोजन पक्ष के कब्जे में बयानों, दस्तावेजों, सामग्री आदि की इस सूची को प्राप्त करने के लिए) पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकती हैं, जिसे इस न्यायालय ने स्वतः संज्ञान की कार्यवाही के अपने अंतिम आदेश 16 (ऊपर निकाला गया पैराग्राफ 11) में स्पष्ट रूप से मान्यता दी है।इसके अलावा, यह कहना कि इस संबंध में मनोज में निर्णय, और अभियुक्त का दस्तावेजों की उक्त सूची, सामग्री प्राप्त करने का अधिकार,

सी.

आदि मसौदा नियमों को अपनाने के बाद ही लागू होंगे-नेतृत्व करेंगे

एक विसंगत स्थिति जहाँ एक राज्य में अभियुक्त का अधिकार, दूसरे राज्य में अभियुक्त को दिए गए अधिकार से प्रतिकूल रूप से भिन्न होता है।17. जैसा कि पहले कहा गया है, मनोज में विस्तार से बताए गए प्रकटीकरण की आवश्यकता, न केवल मसौदा नियमों के निर्माण पर आधारित थी, बल्कि मानक रूप से मनु शर्मा (ऊपर) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के अनुपात पर आधारित थी।इन परिस्थितियों में, मनोज (उपरोक्त) में प्रकटीकरण आवश्यकता की उचित और उपयुक्त व्याख्या यह होगी किः

डी.

ई.

(क) आरोप तय होने के बाद यह परीक्षण चरण में लागू होता है।(ख) न्यायालय को प्रकटीकरण का एक अवसर देने की आवश्यकता होती है, और अभियुक्त उस स्तर पर सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकता है।

एफ.

(ग) यदि दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो निचली विचारण न्यायालय को अभियुक्त के बचाव के अधिकार के संदर्भ में प्रासंगिकता के नियम को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए।यदि दस्तावेज़ या सामग्री प्रासंगिक है और केवल रिमोट नहीं है

जी.

14 सुओ मोटू डब्ल्यूपी (सी. आर. एल.) सं. 1/2017

15 एस. एम. डब्ल्यू. (सी. आर. एल.) सं. 1/2017 में विविध आवेदन सं. 505/2022 में दिनांकित 28.04.2022 आदेश द्वारा।

16 सुओ मोटू डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) सं. 1/2017 में दिनांकित 20.04.2021 आदेश, आपराधिक के रूप में रिपोर्ट किया गया

अपर्याप्तता और कमियों के बारे में परीक्षण दिशानिर्देश।v. आंध्र राज्य

एच.

प्रदेश और अन्य, (2021) 10 एस. सी. सी. 598।

रक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसका उत्पादन निर्देशित किया जा सकता है।इस अवसर को बार-बार नहीं मांगा जा सकता है-निचली विचारण न्यायालय आदेश जारी करने से इनकार कर सकती है, अगर उसे लगता है कि प्रयास में देरी हो रही है।

(घ) अपीलीय स्तर पर, अभियुक्तों के अधिकारों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के मानदंडों के भीतर तैयार किया जाना है। 18.यह कि अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, संदेह में नहीं था; लेकिन जो दोहराया जाता है वह यह है कि यह अधिकार ऊपर विस्तृत निष्पक्ष प्रकटीकरण आवश्यकता में प्रकट होता है।हालांकि मुकदमे के समापन में देरी की चिंता निस्संदेह न्यायाधीश के दिमाग में भारी होती है, लेकिन इसमें निष्पक्ष जांच और मुकदमे के लिए आरोपी के अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

19. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि जिन परिस्थितियों में अनुरोध किया गया था-बार-बार अवसरों के बावजूद अपील के बाद पत्र के माध्यम से सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था, वह उचित नहीं था।अपीलार्थी ऊपर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, समय पर एक उपयुक्त आवेदन दायर करके सहायता ले सकता था।इसलिए हम इस बात से सहमत हैं कि इस अंतिम चरण में की गई अपील सुनवाई को लंबा करने के लिए प्रतीत होती है।इन परिस्थितियों में, न्यायालय हस्तक्षेप करने से इनकार कर देता है।तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है।

डी.

ई.

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.